(18)

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 फाल्गुन 1946 (श0)

(सं0 पटना 189) पटना, बुधवार, 12 मार्च 2025

विधि विभाग

अधिसूचना
12 मार्च 2025

एस0ओ0 62, दिनांक 12 मार्च 2025—बंगाल, आगरा एवं आसाम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का अधिनियम सं0-XII) की धारा-13 की उप धारा (1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम सं0-46) की धारा-8 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व आदेशों एवं अधिसूचनाओं के उपान्तरण में बिहार राज्यपाल निदेश देते हैं कि-

(क) दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल की स्थानीय सीमाओं के भीतर उद्भूत मामलों को निपटाने के लिये दरभंगा न्यायमंडल के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश का एक न्यायालय अब बिरौल में बैठेगा।

(ख) यह अधिसूचना दिनांक-22 मार्च, 2025 से प्रभावी होगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-02/2025/1706/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव, बिहार ।

12 मार्च 2025

एस0ओ0 62, दिनांक 12 मार्च 2025 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-02/2025/1706/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंजनी कुमार सिंह,
सरकार के सचिव, बिहार ।

The 12th March 2025

S.O.62 dated The 12th March 2025— In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13 and Sub-Section (1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No.-XII of 1887) and Sub-section (3) of Section-8 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act. No.-46 of 2023) and in modification of all the previous orders and notifications issued on the subject the Governor of Bihar is pleased to direct that-

(a) One Court of District and Additional Sessions Judge of Darbhanga Judgeship shall now hold its sittings at Biraul for the disposal of such cases as may arise within the local limits of Biraul Sub-Division of Darbhanga District.

(b) This Notification shall come into force with effect from the 22nd March, 2025.

(File No.-A/Act-02/2025/1706/J.)
By Order of the Governor of Bihar,
ANJANI KUMAR SINGH,
Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 189-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in